अभिषेक बनाम लीलाराम
निर्णय दिनांक 04.12.2024

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 01 / 201 / 2023 ऑनलाईन नम्बर 2023 / 543 प्रवेश तिथि 27.12.2023

1. अभिषेक मीना पुत्र स्व0 रसीला पोत्र स्व0 जगन जाति मीना आयु करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम खोहरीन तहसील राजगढ जिला अलवर।
..............वादी

बनाम्

1. लीलाराम पुत्र पन्नाराम जाति मीना आयु करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खोहरीन तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी ओडपुर तहसील रैणी जिला अलवर।
2. फोटू पुत्र पन्नाराम जाति मीना आयु करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम खोहरीन तहसील राजगढ हाल निवासी ओडपुर तहसील रैणी जिला अलवर।
3. तहसीलदार साहब कम सब रजिस्टार साहब राजगढ जिला अलवर। ....असल प्रतिवादीगण
4. हजारी लाल पुत्र स्व0 श्री जगन जाति मीना निवासी ग्राम खोहरीन तहसील राजगढ जिला अलवर।
.........तरतीबी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136, 188 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सुभाष चन्द सैनी एड0 –वादी

–:निर्णयः– दिनांक 04 / 12 / 2024

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,188 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बावत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 2712 / 0.0400 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम ग्राम खोहरीन राजगढ पटवार हल्का राजगढ ऐ, भू.अभि.नि.क्षेत्र राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादी की पैत्रिक आराजी है। जो वादी व तरीतबी प्रतिवादी को उनके पिता व दादा स्व0 जगन पुत्र भौरया जाति मीना ग्राम खोहरीन तहसील राजगढ में विरासत में प्राप्त हुयी है। एवं उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दादा व तरतीबी प्रतिवादी के पिता स्व0 जगन पुत्र भौरया जाति मीना निवासी खोहरीन के नाम खातेदारी में दर्ज है। आराजी हाल खसरा नम्बर 2712 वाके ग्राम खोहरीन का हाल डिजिटल नक्शा सम्वत 2041–42 के नक्शा से नक्शा तैयार किया गया है उक्त भूमि रास्ते के लगती हुयी है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी नक्शा सम्वत 2041–42 के आधार पर ही उक्त आराजी पर काविज है। किन्तु हाल डिजिटल नक्शा जो कर्मचारीयान द्वारा तैयार किया गया है। में वादी व तरतीबी प्रतिवादी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 2712 को रास्ता से दूर हाल खसरा नम्बर 2713 जो प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी की आराजी है के स्थान पर दर्ज कर दिया है। और वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 2712 के स्थान पर खसरा नम्बर 2713 दर्ज कर दिया गया है। जो डिजिटल नक्शा, एक्स पार्चा नक्शा सम्वत 2041–42 के विपरीत होने से वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हकूक खातेदार प्रभावित हो रहे है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नक्शा एक्स पर्चा हाल आराजी खसरा नम्बर 2712 / 0.0400 हैक्टर बारानी प्रथम वाके राजस्व ग्राम राजगढ, पटवार हल्का राजगढ ए, भू.अभि.नि.क्षेत्र राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर को हाल नक्शाा सम्वत 2041–42 के मुताविक दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाद

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

सुचना तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोई कार्यवाही नही चाहने का निवेदन किया जिसे बाद गौर स्वीकार किया गया । तहसीलदार राजगढ जिला अवलर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/15 दिनांक 01.01.2024 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम राजगढ के आर्नलाईन सेग्रीगेशन नक्शे में खसरा नम्बर 2712 ,2713 का गलत अंकन हो रहा है आर्नलाईन सेग्रीगेशन के दौरान वन टू वन मैपिंग में ग्राम राजगढ के नक्शे में खसरा नम्बर 2712, 2713 का अंकन गलत हो रहा है। जिससे जमाबंदी व कैडस्ट्रल मैप का सही मिलान नही हो रहा है। इसलिए ग्राम राजगढ के कैडस्ट्रल मैप में खसरा नम्बर 2712 के स्थान पर 2713 व खसरा नम्बर 2713 के स्थान 2712 दुरूस्त किए जाना आवश्यक बताते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील वादी द्वारा अपने साक्ष्य गवाह के रूप में अभिषेक मीना व रमेश चन्द मीना के शपथ पत्र प्रस्तुत किए जो शामिल मिशाल है।

3. बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2712/0.0400 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम ग्राम खौहरीन राजगढ पटवार हल्का राजगढ ऐ, भू.अभि.नि.क्षेत्र राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। आराजी हाल खसरा नम्बर 2712 वाके ग्राम खौहरीन का हाल डिजिटल नक्शा सम्वत 2041–42 के नक्शा से नक्शा तैयार किया गया है उक्त भूमि रास्ते के लगती हुयी है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी नक्शा सम्वत 2041–42 के आधार पर ही उक्त आराजी पर काबिज है। किन्तु हाल डिजिटल नक्शा जो कर्मचारीयान द्वारा तैयार किया गया है। में वादी व तरतीबी प्रतिवादी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 2712 को रास्ता से दूर हाल खसरा नम्बर 2713 जो प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी की आराजी है के स्थान पर दर्ज कर दिया है। और वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 2712 के स्थान पर खसरा नम्बर 2713 दर्ज कर दिया गया है। जो डिजिटल नक्शा एक्स पार्चा नक्शा सम्वत 2041–42 के विपरीत होने से वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हकूक खातेदार प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल हाल जमाबंदी सम्वत 2071–75 हाल खसरा संख्या 2712 व 2713 एवं नक्शा हाल नक्शा सम्वत 2041–42 कस्बा राजगढ व तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 ग्राम खौहरीन राजगढ पटवार हल्का राजगढ ऐ, भू.अभि.नि.क्षेत्र राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि नक्शा एक्स पर्चा हाल आराजी खसरा संख्या 2712 के स्थान पर 2713 तथा 2713 के स्थान पर 2712 ग्राम खौहरीन वाके राजस्व ग्राम राजगढ , पटवार हल्का राजगढ ए, तहसील राजगढ जिला अलवर को हाल नक्शा सम्वत 2011–42 के मुताबिक दुरूस्त किया जावे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर